भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

## खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1436

5 दिसम्‍बर, 2011 के लिए प्रश्‍न

**भुखमरी से होने वाली मौतें**

1436. श्री पीयूष गोयल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में देश में भुखमरी से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने न्यायमूर्ति वाधवा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उन्हें कार्यान्वित कर दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(प्रो0 के0वी0 थॉमस)

**(क),(ख),(ग),(घ),(ङ),(च) और (छ):** पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने भुखमरी के कारण मौत होने की कोई सूचना नहीं दी है।

केन्‍द्रीय पूल में खाद्यान्‍नों का मौजूदा स्‍टाक आवंटन के मौजूदा स्‍तर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्‍य कल्‍याण योजनाओं के अधीन आवंटनों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्‍त है।

माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने अपने दिनांक 14.5.2011 के आदेश में भारत संघ को यह निदेश दिया है कि 150 निर्धनतम जिलों अथवा समाज के अत्‍यन्‍त गरीब तथा कमजोर वर्गों को वितरण करने के लिए 5 मिलियन टन खाद्यान्‍न आरक्षित किया जाए। इसके अलावा, माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने अन्‍य बातों के साथ-साथ यह निदेश भी दिया है कि उपर्युक्‍त मात्रा का आवंटन उच्‍चतम न्‍यायालय के सेवानिवृत्‍त न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति डी0पी0 वाधवा की अध्‍यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों पर निर्धनतम जिलों को किया जाए। माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के उपर्युक्‍त निदेशों और उक्‍त समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने जुलाई से अक्‍तूबर, 2011 तक के दौरान 27 राज्‍यों में समिति द्वारा पहचान किए गए 174 निर्धनतम/पिछड़े जिलों को वितरण करने के लिए कुल 23.67 लाख टन खाद्यान्‍नों का आवंटन किया है।

...........